9. वित्त विभाग के पत्रांक–7355 वि० दिनांक 05.10.2007 के आलोक में इस राशि की निकासी हेतु महालेखाकार, बिहार, पटना से प्राधिकार पत्र प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है।

10. योजना का कार्यान्वयन "बिहार राज्य अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय योजना" की मार्ग–निर्देशिका तथा सरकार द्वारा समय–समय पर निर्गत पत्र/परिपत्रों के आधार पर किया जायेगा।

11. संबंधित जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना एवं बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि०, पटना के क्षेत्रीय कार्यालय से समन्वय स्थापित कर निर्माण कार्य में गति लाने हेतु प्रयासरत रहेंगे।

12. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी निकासी के दौरान वित्तीय नियमावली के नियमों व वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर जारी संकल्पों एवं परिपत्रों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

13. योजना का क्रियान्वयन मार्ग निर्देशिका में वर्णित प्रावधानों के अनुसार किया जायेगा।

14. व्यय उसी मद व उसी प्राधिकार द्वारा किया जाता है, जो उसके लिए प्राधिकृत हो।

15. उपरोक्त पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

16. उपरोक्त पर सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन
ह०/–
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक–अ०स०क०–07–आ०वि०–08/2020......................./ पटना, दिनांक ..............

प्रतिलिपिः–महालेखाकार (लेखा परीक्षा), महालेखाकार कार्यालय, बीरचंद पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/–
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक–अ०स०क०–07–आ०वि०–08/2020......................./ पटना, दिनांक ..............

प्रतिलिपिः–सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना एवं प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि०, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/–
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक–अ०स०क०–07–आ०वि०–08/2020......................./ पटना, दिनांक ..............

प्रतिलिपिः–प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/वित्त विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

ह०/–
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक–अ०स०क०–07–आ०वि०–08/2020......................./ पटना, दिनांक ..............

प्रतिलिपिः–जिला पदाधिकारी/जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी, मधुबनी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/–
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक–अ०स०क०–07–आ०वि०–08/2020.....175...../ पटना, दिनांक 01/07/20

प्रतिलिपिः–प्रशाखा पदाधिकारी, बजट शाखा/आई०टी० मैनेजर, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

01/7/20
सरकार के अपर सचिव

पत्रांक–अ०स०क०–07–आ०वि०–08 / 2020................................../

बिहार सरकार

## अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

प्रेषक,

**इबरार अहमद खाँ** भा०प्र०से०
सरकार के अपर सचिव

सेवा में,

**महालेखाकार (ले० एवं ह०),**
बिहार, पटना।

विषयः– **बिहार राज्य अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय योजना" के अंतर्गत मधुबनी जिला में 560 (पाँच सौ साठ) आवासन क्षमता वाले अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय के भवन निर्माण (5 वर्षों के रख–रखाव सहित) हेतु राशि ₹5334.09 लाख (तिरपन करोड़ चौतीस लाख नौ हजार रूपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के आलोक में वित्तीय वर्ष 2026–27 में राशि ₹1500.00 लाख (पन्द्रह करोड़ रूपये) मात्र के आवंटन की स्वीकृति।**

**आदेशः– स्वीकृत।**

बिहार राज्य अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय योजना के तहत अल्पसंख्यक समुदाय के प्रतिभावान विद्यार्थियों को चयनित कर उनके सर्वांगीण विकास के लिए अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय योजना का निर्माण किया गया है। योजना के तहत राज्य के प्रत्येक जिले में कम–से–कम एक अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय के निर्माण का लक्ष्य है। योजना का उद्देश्य अल्पसंख्यक समुदाय के विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुलभ कराना है ताकि उच्च शिक्षा एवं व्यावसायिक प्रक्षेत्रों यथा मेडिकल / इंजीनियरिंग आदि में अल्पसंख्यक समुदाय का प्रतिनिधित्व बढ़ाया जा सके।

2. राज्य प्रायोजित "बिहार राज्य अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय योजना" के अंतर्गत मधुबनी जिला में 560 (पाँच सौ साठ) आवासन क्षमता वाले अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय के भवन निर्माण (5 वर्षों के रख–रखाव सहित) हेतु तकनीकी अनुमोदित स्थूल प्राक्कलन की राशि ₹5334.09 लाख (रुपये तिरपन करोड़ चौतीस लाख नौ हजार) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के आलोक में वर्त्तमान वित्तीय वर्ष 2026–27 में राशि ₹1500.00 लाख (पन्द्रह करोड़ रूपये) मात्र की आवंटन की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3. यह राशि मांग सं०– 03 अन्तर्गत मुख्य शीर्ष– 4225–अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय उपमुख्य शीर्ष– 04–अल्पसंख्यकों का कल्याण, लघु शीर्ष– 051–निर्माण– समूह शीर्ष– राज्य स्कीम के अन्तर्गत उपशीर्ष–0103–अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय विपत्र कोड सं०–03–4225040510103, विस्तृत शीर्ष– 53–मुख्य निर्माण कार्य एवं वस्तुगत शीर्ष–01– मुख्य निर्माण कार्य के अन्तर्गत विकलनीय होगा।

4. उक्त राशि की निकासी भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना के सक्षम पदाधिकारी द्वारा की जायेगी, जिसके लिए प्रशासी विभाग द्वारा बजट राशि की उपलब्धता एवं निगम से अधियाचित राशि के अनुसार स्वीकृत्यादेश निर्गत की जायेगी। तदोपरांत भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना द्वारा उक्त राशि को बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि०, पटना को उपलब्ध कराया जायेगा।

5. भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना द्वारा आवंटित राशि के व्यय के पश्चात कार्यकारी एजेंसी, बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि०, पटना व्यय प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध करायेंगे।

6. उक्त योजना विभागीय स्वीकृत्यादेश सं०–183, दिनांक–22.09.2020 द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है।

7. इस राशि का उपयोग किसी भी परिस्थिति में अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार, पटना के संकल्प संख्या–441, दिनांक–23.05.2018 में उल्लेखित प्रावधानों / मार्गनिर्देशिका के अनुरूप व्यय किया जायेगा।

8. योजनान्तर्गत बिहार PWD संहिता एवं वित्त विभाग के पत्रांक–4989 वि०(2), दिनांक–16.05.2013 तथा संबंधित अद्यतन परिपत्र / आदेश की भी कंडिकाओं का अनुपालन कार्यकारी एजेंसी द्वारा अपेक्षित होगा।



क्र०पृ०उ०...